



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)

संख्या: 13 -अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2021- प्रोन्नति(02ब)/2020-21

दिनांक: 25 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम अभि0सं0/वरिष्ठता क्रमांक गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि (सर्वश्री)	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मिथलेश कुमार 2012151/8120 वाराणसी/30.06.2031	सहायक अभियन्ता (परिचालन), 220केवी, उपकेन्द्र, आजमगढ़ उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0।
2	अमर सिंह 20123522010038/8121 हाथरस/31.10.2034	उप खण्ड अधिकारी-कन्नौज, अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड-फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0।
3	रमेश कुमार यादव 2012194/8123 वाराणसी/28.02.2035	उप खण्ड अधिकारी-प्रथम, जागिर रोड़, मिर्जापुर, अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, फता, मिर्जापुर। पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0।	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0।

2- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

3- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

5- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

5- उपरोक्त आदेश दिनांक 01.03.2021 से प्रभावी होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Vin8h

संख्या: 13 (1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन)/(अ0प्र0-03/04)/(अ0प्र0-07), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,



(सदानन्द)

उप सचिव

/sindh